| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**<u>निगरानी/टीए/5763/2003/अजमेर</u>**<br>**सुगनकंवर बनाम ईशाक** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**<u>एकल–पीठ</u>**
**श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य**

**उपस्थितः–**

(1) श्री अजीत सिंह राठौड़, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

**<u>निर्णय</u>** **दिनांकः 11.10.2022**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा वाद सं0 62/2001 बउनवान रघुवीरसिंह बनाम रमजू में पारित आदेश दिनांक 16–10–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है ।

2– निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया सं0 1 के पति एवं 2 ल0 5 के पिता रघुवीरसिंह ने एक राजस्व वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष ग्राम देवगांव स्थित भूमि खसरा नंबर 996 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी में से 4 बीघा भूमि के बाबत् प्रस्तुत किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16–10–2003 से विवादित आराजी की मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसलिए वादीगण द्वारा इस रिपोर्ट पर की गई आपत्तियां खारिज की गई है जिस आदेश दिनांक 16–10–2003 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– निगरानी पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न्याय, नियम एवं रेकार्ड होकर निरस्तनीय है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों बाबत् निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया तथा न ही प्रकरण में लिप्त मूल वाद बिन्दु को समझा और अत्यन्त सूक्ष्म निर्णय पारित करते हुए ऐतराजात निरस्त कर दिये। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने रिमाण्ड आदेश के पैरा नंबर 7 में यह स्पष्ट निर्देश दिये थे कि एक्स वाई जैड क्षेत्र में अपीलार्थी कब्जा करने से इन्कार करते है तो विवाद किस बात का है। अतः स्पष्ट है कि विवाद यहां एक्स–2 सीमा पर बनी डोली को लेकर है, जिसकी आड में

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**<u>निगरानी/टीए/5763/2003/अजमेर</u>**<br>**सुगनकंवर बनाम ईशाक** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

एक्स वाई–2 के दावा प्रस्तुत किया है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–10–2003 निरस्त फरमाया जावें एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 14–01–2003 निरस्त फरमाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशानुसार निर्देश पारित कर उनके अनुसार मौका रिपोर्ट मय नाप–चौक सीमाज्ञान सहित बनाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के तर्को का विरोध करते हुए बहस में कहा कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकड़ी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 16–10–2003 उचित एवं न्यायसंगत होने के कारण प्रार्थीगण की निगरानी काबिल खारिज योग्य है।

6– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दिनांक 16–10–2003 को आदेश पारित किया कि विवादित आराजी की मौके को वास्वविक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसलिए वादीगण द्वारा इस रिपोर्ट पर की गई आपत्तियां खारिज की जाती है।

7– मौका पर्चा कार्यवाही दिनांक 14–01–2003 में अंकित है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 996 (साबिक) का मौका देखा गया। मौका देखकर ही रिपोर्ट तैयार की गई है। एक बार वास्तविक मौके की रिपोर्ट आने के बाद बार–बार मौका रिपोर्ट मंगाकर प्रकरण को अनावश्यक लंबित किया जाना उचित नहीं है।

8– जिससे स्पष्ट है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी का आदेश दिनांक 16–10–2003 विधिसम्मत् है।

9– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

10– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से **खारिज** की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी का आदेश दिनांक 16–10–2003 बहाल रखा जाता है।

11– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

12– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(सुरेन्द्र माहेश्वरी)**

**सदस्य**